विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री लाल बिहारी यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूँछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–13 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
13 (क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में कितने विद्यालय बिना मान्यता के चलाये जा रहे है?	प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों से प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश में बिना मान्यता के चलाये जा रहे विद्यालयों की संख्या–194 है।
(ख) कितने कोचिंग सेन्टर बिना आदेश के प्रदेश में चलाये जाते है?	प्रकरण के संबंध में शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0, प्रयागराज के पत्रांक–सामान्य–(2)/2378–2472/2023–24,दिनांक 15.09.2023 व पत्रांक–सामान्य(2)/3376–3470/2023–24, दिनांक 09.11.2023 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 तथा समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 से निर्धारित प्रारुप पर सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
(ग) क्या ऐसे विद्यालयों व कोचिंग सेन्टरों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करायेंगे?	जी हॉ । जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 17 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक/थानाध्यक्ष को पत्र प्रेषित किया गया है। 21 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त होने के कारण संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु पत्र निर्गत किया गया है। 148 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन के विरूद्ध संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। 08 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विरूद्ध कार्यवाही संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर पर प्रकियाधीन है। उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन के अधिसूचना संख्या–1324/सत्तर–1–2002–15(03)–97, दिनांक 03.07.2002 द्वारा निर्गत

"उ0प्र0 कोचिंग विनियमन नियमावली, 2002 एवं अधिसूचना संख्या–1325/सत्तर–1–2002–15(03)–97, दिनांक 03.07.2002 द्वारा निर्गत कोचिंग सेन्टरों के निरीक्षण के संबंध में विहित व्यवस्था के आलोक में माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 के पत्र संख्या–1235/15–7–2023, दिनांक 08.09.2023 द्वारा प्रदेश में संचालित कोचिंग केन्द्रों में व्याप्त त्रुटि या अनियमितता से संबंधित विद्यमान कमियों को दूर किये जाने हेतु विभाग के संबंधित सक्षम/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा नियमानुसार निरीक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

(घ) यदि हॉ, तो कब तक? — उपरोक्तानुसार।

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों? — प्रश्न नहीं उठता।

गुलाब देवी

मंत्री।